संख्या-418/2020/711/22-2-2020-17(250)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री खबरदार सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05-06-2020) दिनांक-03-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री खबरदार सिंह, बल्लू बेहटा, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30-11-2002 को गाय द्वारा नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र के खेत में सरसों की फसल चरने व नुकसान करने पर नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र द्वारा गाय बांध लेने की रंजिश में अपने भाई सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी रायफल, तमंचा से गोली मारकर नन्हकू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/03 व 1824/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201, 506(2) व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-3, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.05.2006 एवं 16.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 01 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना के घटित होने से इंकार नहीं किये जा सकने, भविष्य में छूटने पर अपराधियों से सांठ-गांठ कर सकने, शारीरिक रूप से स्वस्थ व सशक्त होने, भविष्य में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 30-11-2002 को गाय द्वारा नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र के खेत में सरसों की फसल चरने व नुकसान करने पर नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र द्वारा गाय बांध लेने की रंजिश में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी रायफल, तमंचा से गोली मारकर नन्हकू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री खबरदार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कुँवरपाल सिंह (बन्दी संख्या-27075) पुत्र श्री खबरदार सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-418/2020/711(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-418/2020/711/22-2-2020-17(250)/2020

दिनांक 28 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल सिंह (बन्दी संख्या-27075) पुत्र श्री खबरदार सिंह, बल्लू बेहटा, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30-11-2002 को गाय द्वारा नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र के खेत में सरसों की फसल चरने व नुकसान करने पर नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र द्वारा गाय बांध लेने की रंजिश में अपने भाई सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी रायफल, तमंचा से गोली मारकर नन्हकू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/03 व 1824/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201, 506(2) व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-3, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.05.2006 एवं 16.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 01 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना के घटित होने से इंकार नहीं किये जा सकने, भविष्य में छूटने पर अपराधियों से सांठ-गांठ कर सकने, शारीरिक रूप से स्वस्थ व सशक्त होने, भविष्य में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 30-11-2002 को गाय द्वारा नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र के खेत में सरसों की फसल चरने व नुकसान करने पर नन्हकू उर्फ नानक चन्द्र द्वारा गाय बांध लेने की रंजिश में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी रायफल, तमंचा से गोली मारकर नन्हकू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री खबरदार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in